## न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कसमार

| अनुसूची 14 - प | <b>कारम</b> संत | 562 |
|----------------|-----------------|-----|
|----------------|-----------------|-----|

आदेश - पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

| आदेश पत्रक / ता०सेसे                     | तक   |
|--|------|
| जिला- बोकारो, वाद सं0२.० 2021 2021 सन्   | 20   |
| 10101- diditi' did 110                   |      |
| केस का प्रकार साहाम एवं साद (देवि) श्रीर | 0105 |

| आदेश<br>की<br>क्रम | अादेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर   | आवेश पर<br>की गई<br>कार्रवाई<br>के बारे में<br>टिप्पणी |
|--------------------|---|--|
| सं० एवं<br>तारीख   | 2   | तारीख के<br>साध  |
| 9-21               | प्रबंधक के द्वार देवद्या, कहामार<br>शाखा, जिला- बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा देनदार जीकार महता<br>पिटा च्येना महता द्यामान पाठ- बाठादा ब्याना - क्यमार जिला - बोकारी |  |

क्रिया गया है। साथ ही कार्ट फी रूपये का वसूली दोवा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र दाखिल अधियाचना पत्र दाखिल के वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है।

अतः देनदार के विरूद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें।

नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें।

अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें।

नीलाम पत्र पदाधिकारी, -सह—

अंचल अधिकरी कसमार।